23/04/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विप्रार्थीगण।
के नोटिस Registered delivery Report सहित
तामील शुदा प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है
विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त होने के बावजुद
भी कोई उप: नही हुआ अत: उनके विरुद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस
सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी
गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन
अवलोकन किया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी वकील
का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अत: तत्सम्बंधी
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या
से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 71/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

सांवलाराम बनाम अमरा वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी (आर.ए.एस)

प्रार्थी वकील – श्री दोष मोहम्मद

निर्णय

दिनांक –23/04/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा अम्बावा के खेत खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्ट, किस्म बा.सोयम** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू.अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा अम्बावा के खेत खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्ट, किस्म बा. सोयम** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/04/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(विरेन्द्रसिंह भाटी RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सांवलाराम पुत्र गंगाराम जाति मेगवाल, निवासी डूंगरी, तहसील चितलवाना, जिला बाड़मेर	बनाम	1. अमरा पुत्र ताजा 2. जोधा पुत्र ताजा 3. मेवा पुत्र ताजा 4. डूगरा पुत्र उदा 5. चेना पुत्र उदा 6. पीरा पुत्र उदा 7. बागा पुत्र उदा 8. विरधाराम पुत्र पुनमाराम जाति मेगवाल तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 9. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक : 23/04/24

राजस्व आवेदन संख्या 71/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र तरला भू. अ.नि. क्षेत्र फागलिया के मौजा अम्बावा के खेत खसरा संख्या 441/276 रकबा 4.2007 हैक्ट, किस्म बा.सोयम** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड कलेक्टर सेड़वा

sd/-
(विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/188-91

दिनांक 24/04/24

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी सांवलाराम पुत्र गंगाराम।
3. विप्रार्थीगण अमरा पुत्र ताजा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा